संख्या-219/2022/757/41-2022-17(बजट)/2017

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 31 मार्च, 2022**

विषय-पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की स्पिरिचुअल सर्किट-4 योजना के अन्तर्गत गोरखपुर मंदिर गोरखपुर के समेकित पर्यटन विकास हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को देय जी0एस0टी0 की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-8261/के0यो0/गोर0-देवी0-डुमरिया/2022, दिनांक 23 मार्च 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से निम्नांकित विवरणानुसार स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है:-

क्र0 सं0	कोड सं0	कार्य का नाम	जी0एस0टी0 मद में व्यय धनराशि	जी0एस0टी0 जमा करने की तिथि
1	11665सी0ए0	गोरखपुर मंदिर का विकास	1753607.14	20-2-21
2	11665सी0ए0	गोरखपुर मंदिर का विकास	764250.14	20-2-21
			2517857.14	

2. उपर्युक्त प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुल धनराशि रू0 **2517857.14 (रूपये पचीस लाख सत्रह हजार आठ सौ सत्तावन एवं चौदह पैसे मात्र)** को सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध कराये जाने हेतु एतद्द्वारा स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) **सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उपरोक्तानुसार जी0एस0टी0 मद में धनराशि का भुगतान वास्तविक रूप से जमा की गयी धनराशि की प्रामाणिक रूप से पुष्टि करने के पश्चात ही उपलब्ध कराया जायेगा एवं शासन को इसका विवरण सक्षम स्तर से प्रमाणित करते हुए उपलब्ध कराया जायेगा।**

(2) **यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि केन्द्रीय योजना के अर्न्तगत स्वीकृत परियोजना के कार्य के आगणन में जी0एस0टी0 सम्मिलित नहीं है। यदि आगणन दिनांक 01 जुलाई 2017 के पूर्व गठित है तो जी0एस0टी0 का भुगतान करते समय वैट आदि के रूप में सम्मिलित धनराशि का समायोजन सुनिश्चित कर लिया जायेगा।**

(3) **उपर्युक्त स्वीकृत प्रायोजना हेतु जी0एस0टी0 की देयता का भुगतान किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कार्यदायी संस्था द्वारा स्वीकृत कार्यो का क्रियान्वयन भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है तथा कराये जा रहे कार्यों में निर्धारित गुणवत्ता एवं मानकों का पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- उक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का वहन चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0107-स्वदेश दर्शन स्कीम के अन्तर्गत पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का सृजन-24-वृहत निर्माण कार्य की मद में उपलब्ध धनराशि के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2021/बी-1-141/दस-2021-231/2020 दिनांक 20 जनवरी 2021 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव ।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4- आयुक्त/जिलाधिकारी सम्बन्धित मण्डल/जिला ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-1/2 ।
9- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
10- संबंधित उप निदेशकगण, पर्यटन निदेशालय/ संबंधित मण्डल।
11- परियोजना प्रबंधक (सिविल/विद्युत) उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 इकाई गोरखपुर।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up. gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in